(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 360 / 2020
पंजीकरण संख्या :– 2020 / 00389

बउनवान

मोहम्मद जहूर कुरेशी आयु 52 वर्ष मुतबन्ना मोहम्मद नूर जाति मुसलमान निवासवी हाट मौहल्ला छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. नायब तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
2. ईसरार आयु 40 वर्ष पिसरान नामालूम जाति मुसलमान निवासी गांधी कॉलानी लोको रेल्वे कॉलोनी कोटा
3. इरफान आयु 38 वर्ष पिसरान साहिदा खातून एवं ईश्हाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गॉधी कॉलोनी लोको रेल्वे कोटा (राज.)
4. शबाना आयु 35 वर्ष पुत्री शाहिदा खातून एवं ईश्हास पत्नी सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गॉधी कॉलोनी लोको रेल्वे कोटा (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2941 दर्ज दिनांक 12.05.2020 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट कम 1)
3– श्री रामगोपाल चतुर्वेदी अभिभाषक (रेस्पो क. 2 ता 4)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2941 दिनांक 12.05.2020 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 20.11.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 की ओर से श्री रामगोपाल चतुर्वेदी अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर बहस सुनी गई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसकी एक प्रति अपीलांट के अभिभाषक को उपलब्ध करवाई जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:45 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौरान [illegible] अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि आराजी खसरा नम्बर 1247 रकबा [illegible] बी[illegible] माल छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ मे स्थित है। उक्त आराजी के खातेदार [illegible] मोहमूद नूर थे, मोहमूद नूर के इन्तकाल हो जाने के बाद उसका [illegible] 2941 निर्णित हुआ [illegible] जानकारी दिनांक 21.10.2020 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्[illegible] अलावा निम्न आधारो [illegible]त की जा रही है। यह कि इन्तकाल को विद्वान नायब तहसीदार ने सहखातेदारान व उनके वारिसान को तलब किये बिना ग्राम पंचायत से वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही निर्णित कर दिया। यह कि मृतक मोहम्मद नूर के वारिस निम्न है। (ए)मोहम्मद जहूर मुतबन्ना नूर मोहम्मद, (बी) शाहिदा खातून पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी ईश्हाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छीपाबडौद, (सी) खातून बेगम बेवा नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

यह कि अपीलार्थी नूर मोहम्मद कुरेशी के भाई अब्दुल मजीद का पुत्र है जिसे नूर मोहम्मद ने कोई लडका न होने से पैदा होते ही गोद ले लिया था अपीलार्थी का लालन–पालन शिक्षा, शादी विवाह सभी नूर मोहम्मद कुरेशी ने किये थे, अपीलार्थी नूर मोहम्मद के पुत्र की हैसियत से उनके पास रहा तथा उनकी सेवा की। इसके अतिरिक्त भी मोहम्मद नूर कुरेशी ने अन्य के अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 21 बीघा की शामलाती खाते के हिस्से का वसीयत दिनांक 12.07.2006 को अपीलार्थी के पक्ष मे वसीयत की थी। इस प्रकार अपीलार्थी मोहम्मद नूर कुरेशी का दत्तक पुत्र होने तथा इन्तकाल संख्या 2941 छीपाबडौद से संबंधित आराजी की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष मे कर देने से तथा वसीयतकर्ता का इन्तकाल हो जाने से अपीलार्थी दत्तक पुत्र होने तथा वसीयतनामा भी अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित हो जाने से अपीलार्थी मोहम्मद नूर कुरेशी के हिस्से की आराजी का इन्तकाल अपीलार्थी के पक्ष मे निर्णित होना चाहिये था, लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ने बिना अपीलार्थी को सूचित किये व सुनवाई का मौका दिये इन्तकाल निर्णित कर दिया जो काबिले निरस्तनीय है। खातून बेगम नूर मोहम्मद का भी इन्तकाल हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

यह कि मोहम्मद नूर से संबंधित आराजी उसके जीवनकाल मे मोहम्मद नूर व अपीलार्थी के कब्जे काश्त मे रही तथा उनके इन्तकाल के बाद अपीलार्थी के ही कब्जे मे है। लेकिन रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 ने इस पर कतई गौर नही किया ना ही इस बाबत कोई तहकीकात करवाई लिहाजा इन्तकाल काबिल निरस्तनीय है। इन्तकाल नम्बर 2941 छीपाबडौद शाहिदा खातून के हक मे निर्णित हुआ है उसका इन्तकाल दिनांक 13.09.2020 को हो गया है उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 है जिन्हे पक्षकार बनाया जाकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह कि मोहम्मद नूर कुरेशी ने ताजिन्दगी अपीलार्थी को जाइन्दा पुत्र के रूप मे रखते हुये बल्दियत मे भी मोहम्मद नूर का ही नाम दर्ज करवाया जिसके बाबत सबूत प्रस्तुत है।

अपीलांट के पक्ष मे वसीयतनामा की छायाप्रति, ग्राम पंचायत छीपाबडौद से जारी वारिस प्रमाण पत्र, बारॉ नागरिक सहकारी बैंक की ऋण पास–बुक, छात्र गतिविधि–पत्र, स्थानान्तरण पत्रक, राजस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेन्ट्रल बैंक पास बुक, ड्राईविंग लाईसेन्स, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि।

इन्तकाल का ज्ञान अपीलार्थी को दिनांक 21.10.2020 को होने पर उसने नकल का आवेदन प्रस्तुत किया ओर नकल प्राप्त करने के बाद कानूनी जानकारी प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो ज्ञान की तारीख से अवधि मध्य पेश है। साथ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 इण्डियन लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत है। अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा निर्णित इन्तकाल संख्या 2941 वाके छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ राजस्थान मन्सुख फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को आदेशित किया जावे कि वे वारिसान के बाबत् तथा अपीलार्थी के गोद पुत्र होने व मोहमन्द नूर कुरेशी द्वारा वसीयतनामा निष्पादित कर देने के तथ्यों के बाबत् पूर्ण जॉच कर विधि सम्मत् इन्तकाल निर्णित फरमावे।

रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 के अभिभाषक [illegible] लिखित बहस के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि उक्त अपील मे इन्त[illegible] 2941 तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ मे मृतक मोहम्मद नूर का इंतकाल [illegible] 12.05.2020 को खुला है। उसकी अपील प्रस्तुत की है। मृतक मोहम्मद [illegible] उसके उत्तराधिकार उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्री सईदा खातून थी और उनके कोई पुत्र नही था। इस कारण तहसील छीपाबडौद मे समस्त जानकारी परिवार की प्राप्त कर [illegible]काल मोहम्मद नूर के स्थान पर इंतकाल नम्बर 2941 दिनांक 12.05.2020 को खोला जो सही है और पुत्री सईदा खातून की मृत्यु दिनांक 13.09.2020 को हो चुकी है। उसके पश्चात उसका भी इन्तकाल नामान्तरकरण संख्या 3271 दिनांक 27.10.2023 को अयानखान पुत्र इरषाद मोहम्मद, इरफान उर्फ इरफान मोहम्मद पुत्र स्तियाक मोहम्मद एवं उनके पुत्र इसरार मोहम्मद पुत्र स्तियाक मोहम्मद, नाजमा परवीन पुत्री स्वर्गीय इर्षाद मोहम्मद आदि के नाम खुल चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अपीलांट ने अपनी अपील मे स्वयं कथन किया है कि वह मृतक मोहम्मद नूर के साथ ही निवास करता था। इस कारण यह कहने का कोई उचित कारण नही है कि उसके नाम इंतकाल नही खुला तहसीलदार छीपाबडौद ने समस्त जानकारी आस पडोस, रिश्तेदारो के बयान लेकर मृतक मोहम्मद नूर का इंतकाल उसकी पुत्री सईदा खातून के नाम खोला है तथा सईदा खातून की मृत्यु के उपरान्त उक्त कृषि आराजियात का इंतकाल उनके पुत्र पुत्रियों के नाम खोला है जो सही है। यह कि अपीलांट मोहम्मद नूर का कोई गोद पुत्र नही है बल्कि भतीजा है और वह मृतक का उत्तराधिकारी नही है और यदि वह मानता है तो वह दावा करे। इंतकाल की अपील करने का अधिकारी नही है। यह कि अभी तक अपीलांट ने किसी भी न्यायालय से मृतक मोहम्मद नूर के उत्तराधिकारी होने का वाद प्रस्तुत नही किया है, इस कारण से मृतक की अपील करने हेतु बाधित है और अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी नामान्तरकरण संख्या 2941 दिनांक 12.05.2020 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि मृतक मोहम्मद नूर का गोद पुत्र होने और वसीयतनामा उसके पक्ष मे निष्पादित होने से उसका नाम उक्त इंतकाल मे अंकित किया जाना चाहिये था। रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट मोहम्मद नूर का कोई गोद पुत्र नही है बल्कि भतीजा है और वह मृतक का उत्तराधिकारी नही है और यदि वह मानता है तो वह दावा करे। इंतकाल की अपील करने का अधिकारी नही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद ने परिवार की समस्त जानकारी प्राप्त कर इंतकाल मोहम्मद नूर के स्थान पर इंतकाल नम्बर 2941 दिनांक 12.05.2020 को खोला जो सही है और पुत्री सईदा खातून की मृत्यु दिनांक 13.09.2020 को हो चुकी है। उसके पश्चात उसका भी इन्तकाल नामान्तरकरण संख्या 3271 दिनांक 27.10.2023 को अयानखान पुत्र इरषाद मोहम्मद, इरफान उर्फ इरफान मोहम्मद पुत्र स्तियाक मोहम्मद एवं उनके पुत्र इसरार मोहम्मद पुत्र स्तियाक मोहम्मद, नाजमा परवीन पुत्री स्वर्गीय इर्षाद मोहम्मद आदि के नाम खुल चुका है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 2941 दिनांक 12.05.2020 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ एवं इंतकाल नंबर 3271 दिनांक 27.10.2023 यथावत रखा जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट के हक प्रभावित हो रहे है, तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे हक घोषणा का वाद दायर कर, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिये। इंतकाल अपील एक सारांशिय कार्यवाही है, जिसमे किसी प्रकार के अधिकार नही मिलते है।

निर्णय आज दिनांक **31.05.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ